UPKR010039272025

राज्य बनाम पवन आदि

SC No. 823/2025

धारा–3(5), 191(2), 108, 351(1)BNS.
अपराध सं०–147/2025
थाना–अमांपुर, जिला–कासगंज।

22–01–2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण पवन, विवेक पालीवाल, राहुल उर्फ गौरव एवं आकाश जेरे जमानत उपस्थित आये।

प्रार्थी/वादी वीर सहाय द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 10ब मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गयाल था कि उपरोक्त अपराध में प्रार्थी वादी मुकद्दमा है। उपरोक्त अपराध के मुल्जिम विवेक पालीवाल, पवन, राहुल उर्फ गौरव, आकाश व सचिन सोलंकी आदि ने प्रार्थी के पुत्र किशनपाल की हत्या कर दी थी। संक्षिप्त में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि दिनांक 14.04.2025 को प्रार्थी के पुत्र किशनपाल के साथ उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा लाठी डण्डो से मारपीट की गयी थी जिसमें किशनपाल के सिर व शरीर पर गम्भीर चोटे आई थी। उपरोक्त मारपीट की घटना घटना स्थल पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे में कैद हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना अमांपुर पर मु0अ0सं0–145/2025 दर्ज कराया गया और बाद विवेचना अन्तर्गत धारा–191(2),115(2),352,351 (3), 109 (1),3(5) बी०एन०एस० के तहत आरोप पत्र उपरोक्त मुल्जिमान के विरूद्ध दाखिल किया गया था। उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा उपरोक्त मारपीट की घटना के मुकदमें में फैसला करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था क्योंकि मारपीट की घटना का वादी मुकद्दमा उसका पुत्र मृतक किशनपाल ही था प्रार्थी के पुत्र किशनपाल द्वारा उपरोक्त मुकद्दमें में फैसला न करने पर मुल्जिमान उपरोक्त ने प्रार्थी के पुत्र किशनपाल की दिनांक 19.04.2025 को हत्या कर दी जिसका पुलिस द्वारा थाना अमांपुर पर उपरोक्त अपराध संख्या 147/2025 में पंजीकृत होकर विवेचना की गयी। प्रार्थी के पुत्र मृतक पुत्र किशनपाल की पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी, के उपरान्त मृतक किशनपाल के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के मृतक पुत्र किशनपाल के शरीर पर 7 चोटे आना बताई गयी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एन्टीमोर्टम हैगिंग दर्शाया गया। इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित चोटों की प्रकृति एवं मृत्यु कारण से स्पष्ट होता है कि मृतक किशनपाल की मृत्यु से पूर्व चोटे पहुंचाई गयी है यह तथ्य भी उपरोक्त घटना की हत्या के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है इस प्रकार यह भी माना जा सकता है कि मुल्जिमान के द्वारा मृतक की हत्या की गयी थी। उपरोक्त अपराध की विवेचना के दौरान मुल्जिमान द्वारा घटना स्थल से किशनपाल को ले जाने के सम्बन्ध में एवं उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा घटना को अंजाम देने के सम्बन्ध में कोई भी सी०सी०टी०बी० फुटेज पर विवेचना नहीं की गयी और न ही मुल्जिमान के मोबाइल नम्बरों की सी०डी०आर० एवं लोकेशन के सम्बन्ध में कोई भी विवेचना नहीं की गयी जो एक भारी चूक है। इस केस के विवेचक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं घटना कारित करने के महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विवेचना नहीं की गयी और न ही घटना स्थल के आस पास के लोगों के कोई ब्यान लिये गये। विवेचक द्वारा उपरोक्त घटना को सही तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए आत्म हत्या की घटना मानते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है जो कतई विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपराध की पुनः विवेचना कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त आधारो पर मुकद्दमा अपराध संख्या 147/2025 थाना अमांपुर की पुनः विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी थी।

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.01.22 17:50:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र कागज सं० 15ब प्रस्तुत कर कथन किया गया है था कि उक्त केस में प्रार्थी/अभियुक्तगण विपक्षी है। उक्त केस में वादी द्वारा कथित घटना दिनांकित 14–04–2025 के संबंध में दिनांक 15–5–2025 को एफ०आई०आर० मुकदमा अपराध सं० 145/2025 धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3) बी०एन० एस० बनाम पवन, विवेक पालीवाल व एक अज्ञात के विरुद्ध थाना अमॉपुर पर पंजीकृत करायी उक्त मुकदमा अपराध संख्या में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ अपराध संख्या –145/2025 मे पत्रावली कमिट होकर श्रीमान न्यायालय मे सत्र परीक्षण सं०–889/2025 विचाराधीन न्यायालय में है। उक्त केस में उक्त के वादी द्वारा कथित घटना दिनांक–14.04.2025 के संबन्ध में मुकदमा अपराध संख्या–145/2025 थाना अमॉपुर पर पंजीकृत कराया तथा कथित घटना दिनाकं–19.04.2025 के संबन्ध में मु०अ०स०–147/2025 थाना अमॉपुर पर पंजीकृत कराया दोनो घटना अलग अलग है तथा मुकदमा अपराध संख्या 145/2025 व मु०अ०सं० 147/2025 में अलग अलग आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है और उक्त दोनो पत्रावलियाँ न्यायालय मे विचाराधीन है इस प्रकार मु०अ०स०–147/2025 संबंधित थाना अमॉपुर की पुनः विवेचना कराया जाना न्यायसंगत नहीं है तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 10.10.2025 ओचित्यहीन है तथा खण्डित होने योग्य है। उक्त आधारो पर प्रार्थमापत्र दिनांकित 10.10.2025 ओचित्यहीन है खण्डित करने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा Opposed का पृष्ठांकन किया गया है।

पत्रावली का परिशीलन किया। प्रार्थी/वादी उ०नि० वीर सहाय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं० 10ब मय शपथ पत्र तथा उसके विरुद्ध बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र कागज सं० 15ब, दोनों पक्षों के कथनों एवं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का सम्यक् परीक्षण किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि मुकदमा अपराध संख्या 147/2025 थाना अमांपुर की विवेचना पुलिस द्वारा निष्पक्ष एवं विधिसम्मत ढंग से नहीं की गयी है। विवेचक द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों, जैसे सी०सी०टी०वी० फुटेज, मोबाइल सी०डी०आर० एवं लोकेशन, तथा घटना स्थल के आसपास के व्यक्तियों के बयान आदि का संकलन नहीं किया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की उपेक्षा करते हुए घटना को आत्महत्या मानकर आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इन आधारों पर प्रार्थी द्वारा उक्त मुकदमे की पुनः विवेचना कराये जाने की प्रार्थना की गयी है। दूसरी ओर, बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 14.04.2025 की घटना के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 145/2025 तथा दिनांक 19.04.2025 की घटना के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 147/2025 पृथक–पृथक पंजीकृत हैं एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण Asphyxia, antemortem hanging है। दोनों मामलों में विवेचना पूर्ण होकर पृथक आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा दोनों पत्रावलियाँ सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं। वर्तमान प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 147/2025 की विवेचना पूर्ण होकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है तथा आरोप विरचित किया जा चुका है एवं मामला विचाराधीन है। अतः इस न्यायालय द्वारा पुनः विवेचना का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं० 10ब, जिसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 147/2025 थाना अमांपुर की पुनः विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है, निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 06.03.2026 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।